तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/4/18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उभय पक्ष उपस्थित। अपीलार्थी श्री मलारखां मंगलिया ने उपस्थित होकर रेस्पोंडेंट सं० 7 से 12 की तरफ से वकालतनामा पेश किया, शामिल मिसल किया। मामले में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई। उभय पक्ष की बहस एवं दलीलों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद वादीगण सं० 1 से 3 (रेस्पोंडेंट सं० 1 व 2 तथा अपीलांट) द्वारा पेश किया जो RT Act की धारा 88, 53 व 188 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में इनके वकील श्री जोगराज पोटलिया थे, वकालतनामा पत्रावली पर है। एक आवेदन अंतर्गत O1R10 के तहत नेनू पुत्री केसरा का भी रिकॉर्ड पर (प्रस्तुति दि. 17/7/15) है। वाद का विचारण जारी रहा, वादी पक्ष की 4 गवाह की साक्ष्य पेश हुई, जिरह का अवसर बंद हुआ। साक्ष्य प्रतिवादी की अदुमार्ते 100/- की कोस्ट पर दी गई और पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पाबला कला में रखी। जिसमें दि. 17/7/15 की आदेशिका मुताबिक राजीनामा नहीं हो सका। अगली ता० 14/9/15 को नेनू के O1R10 के प्रार्थना-पत्र की बहस सुनी तो जाहिर हुआ कि मृतक केसरा की जाइंदा पुत्रियां नेनू, हापू, पुत्री न छुकी है जिन्हें कोई आपत्ति नहीं होने पर वाद में पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिनी नेनू को बतौर प्रतिवादिनी पक्षकार संयोजित किया। तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 28/6/16 (अपीलाधीन निर्णय की दिनांक) को लोक अदालत शिविर में (कैम्प कोर्ट पाबला कला) में पेश हुई जहां पक्षकारान मय अभिभाषक उपस्थित आए और इनके उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर/अंगूठा आदेशिका के हाशिये पर मौजूद हैं। जिसमें अपीलांट कमला की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर नहीं हैं परन्तु इनके वकील श्री जोगराज पोटलिया उपस्थित थे। इन्होंने Not Press का अंकन आदेशिका पर करके हस्ताक्षर किये लिहाजा — "वकील वादीगण ने मजीद आम निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य अब उक्त आराजी बाबत कोई विवाद नहीं रहा है जिससे उक्त मुकदमा आगे चलाना नहीं चाहते हैं, वाद पत्र नोट प्रेस किये जाने से वादीगण के Note Press में खारिज किया जाता है" न्यायालय ने प्रकरण बंद कर फैसला शुमार कर लिया। अपीलांट की इसमें कोई उपस्थिति या सहमति बाबत कोई अंकन या हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं है। इसलिए यदि वह वादग्रस्त खातेदारी की आराजी में अपने हिस्से का बंटवारा कराना चाहती है तो सक्षम न्यायालय में अब भी चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। इसकी अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसले शुमार होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। अपील प्राधिकारी बाड़मेर	5/4/18